

न्यायालय राजस्व मण्डल नं. 06 इकोलिया (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक .....

III/निराशी/भिण्ड/2017/4075

1. उमेश
2. राजेश
3. रामनरेश

30.10.17

सदर निवासीगण ग्राम फूप जिला भिण्ड (म.प्र.)

.... आवेदकगण

30.10.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र.

6.11.17

बनाम

यु.शंकर  
कोर्ट के मजिस्ट्रेट  
रु. 50, राजस्व

1. विजयराम पुत्र नर सिंह
2. गिरजाशंकर
3. उमाशंकर
4. राकेश
5. अखलेश
6. भुवनेश्वर पुत्रगण रामलखन जाति ब्राह्मण समस्त निवासीगण ग्रा. फूप तह. व जिला भिण्ड (म.प्र.)
7. ओमप्रकाश तिवारी पुत्र जगतनारायण फोट वारिसान-  
सुनील उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व. ओमप्रकाश
8. कल्ले फोट वारिस बेबा कल्ले उम्र 30 वर्ष
9. राजू उम्र 28 वर्ष
10. संतोष उम्र 25 वर्ष पुत्रगण स्व. ओमप्रकाश तिवारी समस्त निवासीगण ग्राम फूप वृत्त फूप तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)
11. जयप्रकाश पुत्रज गत नारायण निवासी फूप तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.) ....अनावेदकगण
12. रिशु गोपाल पुत्रगण जसप्रताप सिंह 50 रु. 50 निवासीगण ग्राम फूप जिला भिण्ड

निगसनी आवेदन न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सुरपुरा के प्रकरण क्रमांक


30/2015-16/अ-27 में पारित ऑर्डरशीट दिनांक 18.10.2017 के विरुद्ध

निराशी धार 50 नं. 50 रु. 50 निवासीगण ग्राम फूप जिला भिण्ड

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4075

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	